रायपुर अमन पथ
22 अक्टूबर 2016
शनिवार

भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय ने की कार्रवाई

आईएसआई मार्का को दुरुपयोग करते पकड़ी गईं 'पानी' की दो कंपनियां

विभाग प्रमुख एके सिन्हा के निर्देश पर हुई छापेमारी

अमन पथ न्यूज

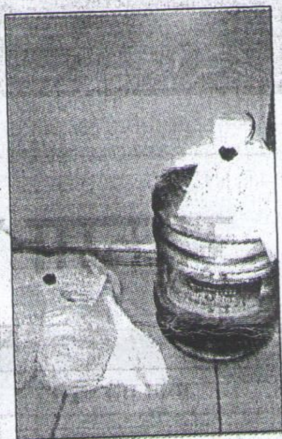

रायपुर। लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर शुद्ध पानी मुहैय्या कराने के नाम पर 'पानी' बेचने वाली कंपनियां आईएसआई मार्का का दुरुपयोग कर रहीं हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुआ है। विभाग प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों इस तरह की शिकायत मिली थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने दो अलग-अलग टीम गठित कर शुक्रवार को दो कंपनियों पर छापेमारी कराई। जिन कंपनियों पर छापेमारी की गई उनमें एक बलौदाबाजार सिविल लाइन स्थित विकास इंडस्ट्रीज और दूसरी रायपुर के गांधी चौक स्थित विद्या वेवरेज है।

इन दोनों स्थानों पर आईएसआई मार्का का दुरुपयोग के साथ ही पुराने लाइसेंस नंबर का उपयोग करते पाया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि इन कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो के एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर **अमन पथ** 22 अक्टूबर 2016 शनिवार

भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय ने की कार्रवाई

आईएसआई मार्का को दुरुपयोग करते पकड़ी गईं 'पानी' की दो कंपनियां

विभाग प्रमुख एके सिन्हा के निर्देश पर हुई छापेमारी

अमन पथ न्यूज

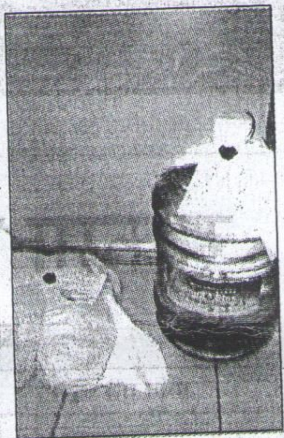

रायपुर। लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर शुद्ध पानी मुहैय्या कराने के नाम पर 'पानी' बेचने वाली कंपनियां आईएसआई मार्का का दुरुपयोग कर रहीं हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुआ है। विभाग प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों इस तरह की शिकायत मिली थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने दो अलग-अलग टीम गठित कर शुक्रवार को दो कंपनियों पर छापेमारी कराई। जिन कंपनियों पर छापेमारी की गई उनमें एक बलौदाबाजार सिविल लाइन स्थित विकास इंडस्ट्रीज और दूसरी रायपुर के गांधी चौक स्थित विद्या वेवरेज है।

इन दोनों स्थानों पर आईएसआई मार्का का दुरुपयोग के साथ ही पुराने लाइसेंस नंबर का उपयोग करते पाया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि इन कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो के एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

patrika.com
पत्रिका . रायपुर . शनिवार . 22.10.2016

कार्रवाई...

लाइसेंस नहीं, बोतलबंद पानी की फैक्ट्रियां सील

आईएसआई का मार्का लगाकर बेच रहे थे पानी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को रायपुर और बलौदाबाजार में बगैर लाइसेंस के आईएसआई मार्का लगाकर बोतलबंद पानी का उत्पादन कर रहे दो फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हुए उन्हें सील कर दिया। बीआईएस के प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि इन कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं था। राजधानी के गांधी चौक स्थित विद्या बेवरेज में टीम ने दबिश दी। यहां एक्वा ए स्टार ब्रांड नाम से आईएसआई मार्का लगाकर पानी पाउच और जार की पैकेजिंग की जा रही थी। टीम ने दूसरी कार्रवाई बलौदाबाजार के सिविल लाइंस स्थित विकास इंडस्ट्रीज में की। यहां पर पीबो ब्रांड के नाम से पानी बोतल और पाउच पर आईएसआई मार्का लगाकर कारोबार किया जा रहा था।

पत्रिका अभियान का असर

1 सितंबर 2016 को प्रकाशित

सैम्पल फेल होने के कारण रद्द हुआ था लाइसेंस

अधिकारियों ने बताया कि दोनों कंपनियों का सैम्पल फेल होने के कारण इनके लाइसेंस एक साल पहले ही रद्द कर दिए गए थे। बावजूद इसके ये कंपनियां पुराने लाइसेंस के आधार पर पानी बोतल, पानी पाउच और जार पर आईएसआई मार्का लगाकार काम कर रहीं थी। इनमें से एक कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया था।

दैनिक भास्कर, रायपुर, शनिवार 22 अक्टूबर, 2016

आईएसआई मार्क का दुरुपयोग, बोतलबंद पानी वाली दो फैक्ट्री सील

सिटी रिपोर्टर | रायपुर

बिना लाइसेंस व आईएसआई मार्क का दुरुपयोग कर बोतलबंद पानी बनाने वाली दो कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो ने सील कर दिया है। ये फैक्ट्री देवपुरी रायपुर व बलौदाबाजार में स्थित है। ब्यूरो के प्रमुख वैज्ञानिक एके सिन्हा ने बताया कि दो फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ आईएसआई एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 50 हजार रुपए जुर्माना व एक साल की जेल का प्रावधान है। देवपुरी गांधी चौक के विद्या बेवरेज में बिना लाइसेंस के बोतलबंद व जार में भरकर पानी का व्यवसाय किया जा रहा था। बलौदाबाजार के विकास इंडस्ट्री में भी यही स्थिति थी। दो दिन पहले ब्यूरो के अधिकारियों को इसकी शिकायत मिली थी। सिन्हा का कहना है कि बिना लाइसेंस लिए बोतलबंद पानी बेचना व बोतल तथा जार में आईएसआई मार्क लगाना गैरकानूनी है।